

विद्युत सेवा आयोग
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०
 (उ०प्र० सरकार का उपकम)
 एस०एल०डी०सी० परिसर (निकट मंत्री आवास)
 विभूति खण्ड, फेज-२, गोमती नगर
 लखनऊ-२२६०१०
 CIN : U32201UP1999SGCO24928

विज्ञापन सं० ०५ / विसेआ / २०२० / AA / बैकलॉग

उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लि० एवं उसकी सहयोगी कम्पनियों हेतु समूह 'ग' के अन्तर्गत "सहायक लेखाकार" (बैकलॉग) के निम्नलिखित श्रेणीवार बैकलॉग के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से प्रतियोगितात्मक परीक्षा द्वारा चयन हेतु निर्धारित अर्हता रखने वाले भारतीय नागरिकों से आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम के द्वारा असुन्दरित हैं। व्यक्तिगत रूप से अथवा अन्य माध्यम से भेजे गये आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जायेगा। श्रेणीवार रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है :-

१. रिक्तियों का विवरण:-

क्रम सं०	पद कोड	पदनाम	अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी (नॉन क्रीमीलेयर)	अनुसूचित जाति श्रेणी	अनुसूचित जनजाति श्रेणी
१	२१	सहायक लेखाकार (ASSISTANT ACCOUNTANT)	२१	११	०१

- ❖ उपरोक्त रिक्तियों की संख्या आवश्यकतानुसार घटाने एवं बढ़ाने का अधिकार उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लि० के पास सुरक्षित है।
- ❖ आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास आधार कार्ड अथवा विधिमान्य फोटोयुक्त पहचान पत्र का होना अनिवार्य है।
- ❖ उपरोक्त पदों पर आरक्षण का लाभ केवल उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासियों को ही अनुमन्य है।
- ❖ विज्ञापित पद पर आवेदकों की संख्या अधिक होने की स्थिति में ऑन-लाइन परीक्षा (CBT) एक से अधिक पालियों/दिवसों में करायी जायेगी। विभिन्न पालियों के प्रश्नपत्रों के मूल्यांकन के पश्चात् संलग्नक-१ के अनुसार Normalisation method (CBT के प्रथम एवं द्वितीय भाग में) श्रेष्ठता निर्धारण में प्रयुक्त होगा।
- ❖ केन्द्र/राज्य सरकार या किसी अन्य विभाग की सेवा से निष्कासित व्यक्ति उपरोक्त पदों हेतु अर्ह नहीं हैं।

२. वेतनमान:- वेतन मैट्रिक्स लेवल -०५ में वेतनमान रु० २९८००-९४३०० एवं अन्य भत्ते उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० में लागू नियमानुसार देय होगा।

३. अनिवार्य शैक्षिक एवं अन्य अर्हतायेः- आवेदन के समय अभ्यर्थी के पास निम्न अर्हता का पूर्ण धारित होना आवश्यक है:

सहायक लेखाकार (ASSISTANT ACCOUNTANT)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय (केन्द्र अथवा राज्य सरकार के एकत्र द्वारा स्थापित) से वाणिज्य में स्नातक डिग्री।
---	---

४. आयुः- दिनांक ०१.०७.२०२० को न्यूनतम - २१ वर्ष एवं अधिकतम - ४० वर्ष।

५. अधिकतम आयु सीमा में अनुमन्य छूट : उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमीलेयर) श्रेणी के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में ०५ वर्ष की एवं भूतपूर्व सैनिक (यथा उत्तर प्रदेश के शासनादेश में परिभाषित एवं जिन्होंने सेना में कम से कम ०५ वर्ष की सेवा की हो) को अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा सेना में की गयी पूर्ण वर्षों की सेवा की अवधि में तीन वर्ष जोड़ते हुए छूट नियमानुसार अनुमन्य होगी। विकलांग अभ्यर्थियों (केवल विकलांगता श्रेणी OA/OL) को अधिकतम आयु सीमा में १५ वर्षों की छूट अनुमन्य होगी।

६. आरक्षण:- (क) आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है।

(ख) अनुसूचित जनजाति के उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों का चयन नियमानुसार किया जायेगा।

(ग) भूतपूर्व सैनिक (यथा उत्तर प्रदेश के शासनादेश में परिभाषित एवं जिन्होंने सेना में कम से कम ०५ वर्ष की सेवा पूर्ण की हो) को नियमानुसार रिक्तियों का ५ प्रतिशत क्षेत्रिज आरक्षण अनुमन्य होगा।

(घ) विकलांग अभ्यर्थियों को नियमानुसार कुल रिक्तियों का ४ प्रतिशत क्षेत्रिज आरक्षण अनुमन्य होगा।

D



(ङ) अभ्यर्थी को केवल आवेदित श्रेणी का ही लाभ अनुमत्य होगा।

नोट:- कारपोरेशन द्वारा अंगीकृत शासनादेश के अनुसार विज्ञापित पदों के विरुद्ध गणनानुसार क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित अभ्यर्थियों हेतु पद उपलब्ध नहीं हैं।

7. चयन प्रक्रिया :- अभ्यर्थी द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र में उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर लिखित परीक्षा (CBT) में अस्थायी रूप से (provisionally) सम्मिलित किया जायेगा। अभ्यर्थियों के मात्र लिखित परीक्षा (CBT) में सम्मिलित होने से अर्हता अथवा चयन का अधिकार प्राप्त नहीं हो जायेगा। चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जायेगा।

लिखित परीक्षा (CBT)

सहायक लेखाकार के पद पर विद्युत सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती हेतु वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा (CBT) होगी। लिखित परीक्षा (CBT) का प्रश्न-पत्र दो भागों का होगा। प्रथम भाग में 50 प्रश्न एवं द्वितीय भाग में 150 प्रश्न होंगे।

प्रथम भाग:

(1) प्रथम भाग की लिखित परीक्षा (CBT) में DOEACC के "O" स्तर का कम्प्यूटर ज्ञान से सम्बन्धित एक प्रश्न-पत्र होगा जिसमें 50 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का होगा अर्थात् यह परीक्षा अधिकतम 50 अंकों की होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक की अतिरिक्त कटौती की जायेगी।

(2) कम्प्यूटर ज्ञान की प्रथम भाग की परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित अभ्यर्थी को अर्ह न मानते हुये उसकी लिखित परीक्षा(CBT) के द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।

द्वितीय भाग:

(1) द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा(CBT) का पाठ्यक्रम (Syllabus) निम्नान्त होगा:-

(i) General English & General Hindi.

(ii) Arithmetic.

(iii) Accountancy, Auditing and Income Tax (conforming to the graduation standard)

The syllabus of Accountancy, Auditing And Income Tax is detailed below:-

Accountancy:-

(a) Trading and Profit & Loss Accounts and Balance Sheet.

(b) Bills of Exchange.

(c) Self balancing ledgers and sectional balancing.

(d) Capital & Revenue, Receipts & Payments, Income & Expenditure Accounts.

(e) Depreciation, Reserve & Provisions.

(f) Branch and Departmental Accounts.

(g) Double Accounts System.

(h) Bank Reconciliation Statement.

(i) Rectification of Errors.

(j) Balance-Sheet formats & classification.

Auditing and Income-Tax:-

(a) Object of Audit.

(b) Vouching and verification.

(c) Rights, Duties and Liabilities of Auditors.

(d) Income Tax, Provisions pertaining to income from salary and Provisions related to chapter-VI of Income tax Act 1961.

(e) Provision relating to TDS & forms to be filed with Income-Tax Department.

(2) प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का होगा अर्थात् यह परीक्षा अधिकतम 150 अंकों की होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिये 1/4 अंक की अतिरिक्त कटौती की जायेगी।

(3) कम्प्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग के प्रश्नपत्र में अर्जित अंक, श्रेष्ठता (मेरिट) निर्धारण हेतु जोड़े नहीं जायेंगे।

8. परीक्षा स्थान:- परीक्षायें यथासंभव लखनऊ, मेरठ, आगरा एवं वाराणसी शहरों में होगी। अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर अथवा विशेष परिस्थितियों में परीक्षा के स्थान को बदला अथवा घटाया/बढ़ाया जा सकता है।

9. अर्हताओं एवं अन्य प्रमाण पत्रों का प्रस्तुतीकरण:-अभ्यर्थी द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र में उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर लिखित परीक्षा(CBT) में अस्थायी रूप से (provisionally) समिलित किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा मात्र लिखित परीक्षा(CBT) में समिलित होने से अर्हता अथवा चयन का अधिकार प्राप्त नहीं हो जायेगा। लिखित परीक्षा(CBT) के प्रथम भाग में घोषित अर्ह अभ्यर्थियों की सूची में से परीक्षा के द्वितीय भाग में प्राप्त अंकों की श्रेष्ठतानुसार कुल श्रेणीवार रिक्तियों के दो गुने अभ्यर्थियों को अभिलेखों की जाँच हेतु शार्टलिस्ट किया जायेगा। अभ्यर्थियों द्वारा विज्ञापित पद हेतु निर्धारित अर्हता सम्बन्धी योग्यता प्रमाण पत्र/अंकपत्र/जाति प्रमाण पत्र (अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र दिनांक 31.03.2020 के बाद का निर्गत होना आवश्यक है)/मूल निवास प्रमाण पत्र (दिनांक 31.03.2017 के बाद का निर्गत होना आवश्यक है)/विकलॉगता प्रमाण पत्र/भूतपूर्व सैनिक(यथा उत्तर प्रदेश के शासनादेश में परिभाषित एवं जिन्होंने सेना में कम से कम 05 वर्ष की सेवा की हो) प्रमाण पत्र इत्यादि (जो अप्रासंगिक हों उन्हें छोड़कर) की एक-एक स्वयं सत्यापित एवं हस्ताक्षरित छायाप्रति अॉनलाइन आवेदन पत्र के प्रिन्टआउट के साथ अभिलेखों की जाँच के समय जमा करायी जायेगी। अभिलेखों की जाँच हेतु शार्टलिस्ट आमंत्रित अभ्यर्थियों के ही अर्हता सम्बन्धी प्रमाण पत्रों की जाँच विभिन्न स्तरों पर की जायेगी। किसी भी प्रकार की गलत सूचना देने/प्राप्त होने पर, बिना सूचना के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थन निरस्त करने एवं चयन प्रक्रिया से वंचित करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित है। अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों की जाँच मूल प्रमाण पत्रों से करने के उपरान्त अर्हतानुसार सही पाये गये अभ्यर्थियों की सूची में से श्रेणीवार रिक्तियों के सापेक्ष श्रेष्ठतानुसार चयनित अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जायेगी। लिखित परीक्षा(CBT) में एक से अधिक अभ्यर्थियों द्वारा समान अंक पाने की स्थिति में आयु में वरिष्ठ अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।

10. अनापत्ति प्रमाण पत्रः- यदि कोई अभ्यर्थी किसी सरकारी/अद्व्यसरकारी विभाग में कार्यरत है तो उसे नियुक्ति के समय अपने विभागाध्यक्ष द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

11. चरित्र :- अभ्यर्थी को अपने पिछले शिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य एवं दो सम्मानित व्यक्तियों, जो सम्बन्धी न हो, द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र नियुक्ति के समय प्रस्तुत करना होगा।

12. वैवाहिक स्थिति:- ऐसे पुरुष/महिला अभ्यर्थी जो विधि विरुद्ध एक से अधिक जीवित पत्नी/पति रखते हों, चयन हेतु अर्ह नहीं होंगे।

13. शारीरिक स्वस्थता प्रमाण पत्रः-अभ्यर्थी का प्रतियोगितात्मक परीक्षा के आधार पर सेवा में नियुक्ति हेतु योग्य पाये जाने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वासा निर्गत शारीरिक स्वस्थता प्रमाण पत्र नियुक्ति के समय प्रस्तुत करना होगा।

14. आवेदन शुल्क एवं प्रोसेसिंग चार्जः-आवेदन शुल्क एवं प्रोसेसिंग चार्ज अप्रतिदेय (Non Refundable) है।

1. उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थी हेतु	Rs. 700/- प्रति आवेदन
2. उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थी हेतु	Rs. 1000/- प्रति आवेदन
3 विकलांग अभ्यर्थियों हेतु केवल प्रक्रमण शुल्क	Rs. 10/- प्रति आवेदन

(1) आवेदन शुल्क एवं प्रोसेसिंग चार्ज नेट बैंकिंग/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/पेमेंट गेटवे अथवा स्टेट बैंक आफ इंडिया के चालान के माध्यम से जमा होगा, इसके अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से आवेदन शुल्क जमा नहीं होगा एवं जमा करने की विधि वेबसाइट www.uppcl.org पर उपलब्ध है। बैंक चार्ज अभ्यर्थी द्वारा अलग से देय होंगे।

(2) आवेदन शुल्क एवं प्रोसेसिंग चार्ज के मद में जमा की गयी धनराशि किसी भी दशा में न तो वापस की जायेगी और न ही स्थानान्तरित अथवा किसी अग्रिम चयन हेतु सुरक्षित की जायेगी।

15. आवेदन कैसे करें:-कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org को खोलें एवं टैब "APPLY ONLINE AGAINST ADVT NO. 05/VSA/2020/AA/Backlog"FOR THE POST OF ASSISTANT ACCOUNTANT-BACKLOG पर क्लिक करें तथा खुलने वाले नये वेब पेज पर "How to Apply" पर क्लिक कर प्रक्रिया को भली-भांति समझें एवं आवेदन पत्र को निर्देशनुसार पूर्ण करें। अभ्यर्थियों को सुझाव दिया जाता है कि वे अपना रजिस्टर्ड ई-मेल एवं मोबाइल नं० को अन्तिम परीक्षाफल आने तक सजीव रखें। परीक्षा सम्बन्धी महत्वपूर्ण सूचना इन्हीं के माध्यम से प्रेषित की जायेगी।



16. प्रवेश पत्रः- लिखित परीक्षा(CBT) हेतु प्रवेश पत्र को अभ्यर्थी द्वारा वेबसाइट www.uppcl.org से डाउनलोड करना होगा तथा इसकी सूचना आवेदन पत्र में दिये गये रजिस्टर्ड मोबाइल नं० पर SMS एवं रजिस्टर्ड ई-मेल पर मेल द्वारा प्रेषित की जायेंगी। प्रवेश पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे।

17. अन्य विशेष सूचना:-

(1) अनिवार्य अर्हता सम्बन्धी सभी प्रमाण पत्रों को अभिलेखों की जाँच के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(2) सभी प्रासांगिक अर्हताओं सम्बन्धी प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियों तथा एक-एक स्वयं सत्यापित छायाप्रति मूल आवेदन पत्र के साथ, अभिलेखों की जाँच के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इन्हें प्रस्तुत न कर पाने की स्थिति में अथवा प्रस्तुत अभिलेख गलत पाये जाने पर अथवा आवेदन पत्र में दी गयी सूचना विज्ञापन के अनुरूप न होने पर अभ्यर्थी को अभिलेखों की जाँच में सम्मिलित न करते हुए अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(3) अभिलेखों की जाँच विभिन्न स्तरों पर की जायेगी। किसी भी स्तर पर गलत सूचना देने/प्राप्त होने पर अर्हता पूर्ण न पायें जाने पर अभ्यर्थन/चयन बिना कारण बतायें निरस्त किया जा सकता है।

(4) आवेदन सम्बन्धी पूछताछ हेतु helpdesk52aa@gmail.com पर सम्पर्क किया जा सकता है। सभी पत्राचार आवेदन पत्र में भरे गये पत्राचार के पते पर ही किये जायेंगे। उपर्युक्त विज्ञापन बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार कारपोरेशन के पास सुरक्षित रहेगा। विज्ञापन का सम्पूर्ण विवरण वेबसाइट www.uppcl.org पर आवेदन करने की अंतिम तिथि तक देखा जा सकता है।

18. पारदर्शिता:- परीक्षा की पारदर्शिता हेतु निम्न व्यवस्थायें की गई हैं:-

लिखित परीक्षा(CBT) की समाप्ति के पश्चात् प्रश्नपत्र का सही हल, परीक्षा की समाप्ति से यथासम्भव 02 दिन के अन्दर, विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जायेगा अथवा डाउनलोड करने हेतु लिंक उपलब्ध कराया जायेगा एवं अभ्यर्थी को अपलोड की तिथि से 03 दिन तक का समय साक्ष्य सहित आपत्ति दर्ज कराने हेतु उपलब्ध कराया जायेगा। प्राप्त सभी आपत्तियों को संज्ञान में लेने एवं विषय विशेषज्ञों की राय (जिनका निर्णय अंतिम होगा) के उपरांत लिखित परीक्षा(CBT) का मूल्यांकन करते हुए शार्टलिस्ट सूची जारी की जाएगी। अभ्यार्थियों को www.uppcl.org की वेबसाइट से रिस्पांस-शीट अपने लागिन आईडी एवं पासवर्ड से डाउनलोड करना होगा ये आयोग द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के पश्चात् परीक्षा सम्बन्धी किसी भी आपत्ति को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

19. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र केवल उत्तर प्रदेश होगा।

20. महत्वपूर्ण तिथियाँ :

क्र०सं०	विवरण	तिथि
1	ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण करने की तिथियाँ	09-09-2020 से 29-09-2020 तक
2	नेट बैंकिंग/ क्रेडिट कार्ड/ डेबिट कार्ड इत्यादि द्वारा आवेदन शुल्क जमा करने की तिथियाँ—	09-09-2020 से 29-09-2020 तक
3	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के चालान द्वारा आवेदन शुल्क जमा करने की तिथियाँ (चालान डाउनलोड करने की अंतिम तिथि 29.09.2020)—	09-09-2020 से 01-10-2020 तक
4	ऑनलाइन (CBT) परीक्षा की सम्भावित अवधि	अक्टूबर 2020 के चतुर्थ सप्ताह

सचिव
विद्युत सेवा आयोग

सं० ८७६/विसेआ/०५-विसेआ-२०२०/ AA/बैकलॉग दिनांक: २५/१०/२०२०



Z-Score Normalization

Normalized Score for each candidate (Xn)

Below is the formula that is used in the calculation of the normalized scores of the multisession papers.

$$Xn = \frac{S2}{S1} * (X - Xav) + Yav$$

S2	Is the Standard Deviation of the shift with the Highest Average Score taken as base for normalization
S1	Standard Deviation for the corresponding shift (to be scaled to S2)
X	Raw score of a candidate
Xav	Simple average of the candidate Shift
Yav	Average corresponding to shift with highest Average (taken as base for normalization)

